जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 03.11.2022

पैरवी सजा

थानाभवन, कोतवाली शामली

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना कोतवाली शामली एवं जनपद की मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल द्वारा नाबालिग से बलात्कार के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को माननीय न्यायालय कैराना जनपद शामली द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा एवं 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गयाः-

वर्ष 2021 में कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त निकुंज पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में नाबालिग के परिजन द्वारा थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 313/2021 धारा 376 (3) भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम व 3(2) 5क एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय ADJ/SPL पोक्सो कोर्ट कैराना शामली में उक्त मामले का विचारण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में थाना कोतवाली पुलिस एवं जनपद की मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कर गवाही संपन्न कराई गई। थाना कोतवाली शामली/मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल जनपद शामली के अथक प्रयास एवं निरंतर प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 03.11.2022 को माननीय न्यायालय ADJ/SPL पोक्सो कोर्ट कैराना शामली द्वारा उक्त मामले में अभियुक्त निकुंज उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 376 (3) भादवि में आजीवन कारावास की सजा व 25,000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है तथा धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पीडित परिवार ने अभियुक्त को सजा कराने में पुलिस द्वारा निभाई गयी महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.निकुंज पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की मॉनिटरिंग/अभियोजन सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को चोरी के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2020 में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र श्यामा निवासी ग्राम दुर्गनपुर थाना बुढाना जनपद मु0नगर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर **मु0अ0सं0 563/20 धारा 379 भादवि में अभियोग** पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 0 3.11.2022 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त जयवीर उपरोक्त को **सुनाई 01 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.राजू पुत्र श्यामा निवासी ग्राम दुर्गनपुर थाना बुढाना जनपद मु0नगर।